



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2420]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940

No. 2420]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

का.आ. 3169(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

मुदुमलाई बाघ रिजर्व मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के सम्पूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत तमिलनाडु के नीलगिरि जिला में अक्षांश 11.50000 और 11.65000 उत्तर देशांतर 76.45000 और 76.71670 पूर्व के बीच स्थित है और यह 321.00 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 2007 के दौरान बाघ परियोजना के तहत लाए गए संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान में, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-वी के अनुसार बाघ रिजर्व के सम्पूर्ण क्षेत्र **(321.00 वर्ग किलोमीटर)** को अधिसूचित सं. 145, पर्यावरण और वन (एफआर-5) विभाग, दिनांक:28.12.2007 को कोर/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास के रूप में घोषित किया गया है। रिजर्व में कोर 321.00 वर्ग किलोमीटर और महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास बफर क्षेत्र के रूप में 367.586 वर्ग किलोमीटर है। बफर क्षेत्र के साथ रिजर्व का कुल क्षेत्रफल **688.586** वर्ग किलोमीटर है।

और, मुदुमलाई बाघ रिजर्व (कोर) नीलगिरि जीवमंडल रिजर्व के 5500 वर्ग किलोमीटर का न केवल एक महत्वपूर्ण भाग है बल्कि हाथी परियोजना के तहत नीलगिरि हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग भी है। क्षेत्र में जीवजन्तुओं और वनस्पतियों की विविधता प्रचुर है। मुदुमलाई बाघ रिजर्व (कोर) तीन राज्यों अर्थात्, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के त्रि-जंक्शन में स्थित है जो आसपास के वनों के साथ जुड़ा हुआ है।

और, यह क्षेत्र बाघों के प्रजनन के लिए आश्रय प्रदान करता है और पश्चिमी घाटों से पूर्वी घाटों तक और इसके विलोमतः हाथियों के लिए एक अच्छा गलियारा भी प्रदान करता है। यह क्षेत्र निर्दिष्ट हाथी गलियारे का भाग है जो मोयर और सैथीमंगलम को जोड़ता है। यह क्षेत्र पश्चिमी घाटों का भी भाग है जो वैश्विक जैव-विविधता हॉटस्पॉट की वनस्पतियों और जीवजन्तुओं के लिए प्रसिद्ध है और स्थानिक दर्शनीय स्थल है।

और, यह क्षेत्र पश्चिमी घाट भू-दृश्य में लगभग 60-65 बाघों, 600 से 800 एशियाई हाथी और गौर के अलावा अन्य महत्व पशुओं को पारिस्थितिकीय धारणीय पर्यावास प्रदान करता है। यह रिजर्व पक्षियों की 227 प्रजातियों, मछलियों की 50 प्रजातियों, उभयचरों की 21 प्रजातियों, सरीसृपों की 34 प्रजातियों का वास है। यहां तीन स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस रिजर्व में स्थानिक मछली प्रजाति अर्थात् *पुंटियस मुदुमलाईलसिस* है। रिजर्व में व्हाइट बैकड वलचर की वन्य कालोनी पाई जाती है।

और, यह क्षेत्र महत्वपूर्ण और अद्वितीय पर्यावास है और विशुद्ध जेनेटिक संख्या बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी-प्रणाली में सभी वनस्पतियों और जीवजन्तुओं के महत्वपूर्ण स्वस्थाने संरक्षण स्थल है। इसमें विविध प्रकार के पर्यावास हैं। पूर्वी भाग में शुष्क कांटेदार वन हैं जिसमें रिजर्व के पश्चिमी भाग में शुष्क कांटेदार वन से वनस्पति के प्रकार क्रमशः शुष्क कांटेदार वनों से पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वनों के पैच में बदलते हैं। इन वनों को निम्नलिखित समूहों (चैपियन और सेठ 1968) में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् 6ए - दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन, 5ए - दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, 3बी - दक्षिणी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, 2ए - दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, नमी बांस ब्रेक और 4ई - रिपेरियन फ्रिजिंग वन जिसमें कृषियोग्य पौधों की वन्य वनस्पतियों की किस्में पाई जाती हैं। दलदल या वायलों की उपस्थिति के कारण मुदुमलाई बाघ रिजर्व (कोर) की अद्वितीय जैव विविधता विशेषता है।

और, वनस्पतियों में *ग्रेविया टिलिफोलिया*, *एनोइसस लैटिफोलिया*, *टर्मिनलिया क्रैनुलाटा*, *टिलिया टोमेंटोसा*, *केडिया कल्यासिना*, *शोरिया रोक्सबर्गि*, *टेक्टोना ग्रैंडिस*, *लेगेस्ट्रोमिया माइक्रोकर्पा*, *बुटी मोनोस्पर्मा*, *ऑर्किड*, *एमोरफोफेलस*, *जिंगिबर*, *कर्कुमा* आदि शामिल हैं, लताएं जैसे *टोडालिया एशियाटिका*, *गनेटम उला*, *एंटाडा स्कैंडेस*, *बाम्बुसा अरुंडिनेसिया*, *डेंडरोकैलेमस स्ट्रीक्टस*, *मंगीफेरा इंडिका* हैं। रिजर्व के मध्य और पश्चिमी भाग में बांस भी पाया जाता है। लेंटाना झाड़ियों से अक्सर लगभग सभी वासों पर रिजर्व के बड़े क्षेत्र को कई विदेशी पौधे प्रजातियां जैसे *लेन्टाना कैमरा*, *यूस्टोरीयम गंध*, *एमरेटम कंजोज़ाइडस*, *टिटोनिया*, *पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस* और *मिकानिया माइक्रोटा* द्वारा आच्छादित किया जाता है।

और, यह संरक्षित क्षेत्र जैसे मोयर नदी महत्वपूर्ण बारहमासी जल स्रोतों का जल ग्रहण क्षेत्र है, जो रिजर्व की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं और मारवाकांडी बांध के आर पार जाती है जो मसीनागुडी रेंज के मध्य दाईं ओर स्थित है। एवरल्लाह नदी और मोयर फ्लूम चैनल को कृत्रिम बारहमासी जल स्रोत जैसे गेम हट, ओम्बेटा और मेथागल वायल आदि के अलावा, रिजर्व जलग्रह द्वारा सम्पोषित किया जाता है।

और, मुदुमलाई बाघ रिजर्व में वनस्पतियों की अच्छी विविधता है जैसा कि पश्चिमी घाटों में पाई जाती है और जो वन्यजीवों के लिए अच्छा पर्यावास है। मुख्य प्रजातियां रस्टी मिमोसा (*अकासिया पेनाटा*), एकसल वुड (*एनोगेईसस लैटिफोलिया*), बर्मसे सिल्क आर्किड (*बौहिनिया रेसमोसा*), इंडियन ओलिबानम (*बोसवेलिया सेरेटा*), ओप्पई (*कैंटीम डिकोकम*), इंडियन लैबर्नम (*कैसिया फिस्टुला*), सैटीन वुड (*क्लोरोक्साइलॉन स्विटियानिया*), इंडियन रोज वुड (*डाल्बर्गिया लैटिफोलिया*), माउंटेन पर्सिमोन (*डिओस्पिरोस मोंटाना*), बस्टर्ड सैंडल (*एरिथ्रोक्साइलम मोनोगिनम*), बरगद वृक्ष (*फिकस बंगलेंसिस*), धामन (*ग्रिविया टिलिफोलिया*), नंदी ट्री (*लेगेस्ट्रोमिया लांसोलटा*), पोंगाम ट्री (*पोंगामिया पिनाटा*), कदंबा (*मितरागायना परविफोलिया*), एडला (*ओलेया डाइओका*) आदि हैं।

और, रिजर्व में पक्षियों, मछलियों और तितलियों की विविधता है। अभयारण्य में वर्तमान में पाई जाने वाली पक्षियाँ व्हाइट-रम्पड वल्टर वल्टर (*जिप्स बंगलेंसिस*), लांग-बिल्ड वल्टर (*जिप्स इंडिकस*), इंडियन पीफाउल (*पावो क्रिएस्टेटस*), क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल (*स्पिलोर्निस चीला*) व्हाइट-थ्रोटेड किंगफिशर (*हैल्सीन स्मरिनेन्सिस*) आदि हैं; तितलियों के उदाहरण ब्लू मॉर्मन (*पैपिलीओ पॉलिमनेस्टर*), कॉमन इमिग्रेंट (*कैटोप्सिलिया क्रोकेल*), कॉमन ग्रास येलो (*यूरेसा हेकबे*), कॉमन बुशब्रौन

(माइकेलेसिस पर्सियस) आदि हैं; मछलियों के उदाहरण इंडियन लांग-फिन ईल (एंगुइला बेंगलेंसिस), कॉमन कार्प (सिप्रिनस कैप्रियो), टाइगर बार्ब (पुंटियस टेट्राज़ोना), हिल ट्राउट (बैरिलियस बेंडेलिसिस) आदि हैं।

और, रिजर्व में सरीसृपों और उभयचरों की कई प्रजातियां हैं। सरीसृपों के उदाहरण मार्श मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पालस्ट्रिस), इंडियन स्टार कछुआ (जियोसेलॉन एलिगेंस), इंडियन ब्लैक कछुआ (मेलानोचेलीज त्रिजुगा), इंडियन फ्लैप्सहेल कछुआ (लिस्मिस पंटटा), भारतीय गिरगिट (चामेलेन ज़ियोनोनिकस) आदि हैं; उभयचरों के उदाहरण सामान्य भारतीय टोड (दत्ताफ्राइनस मेलेनोस्टिकस), कॉमन इंडियन ट्री फ्राग (पॉलीपेडेटस मैक्यूलेटस), इंडियन स्किपर फ्राग (यूप्लिक्रिटस साइनोफ्लाइटिस), इंडियन बुल फ्राग (होप्लोबेट्राचस टिग्रिनस) आदि हैं।

और, रिजर्व में कई दुर्लभ, लुप्तप्राय, संकटापन्न और स्थानिक प्रजातियां अभिलिखित हैं। रिजर्व में विद्यमान दुर्लभ प्रजातियां सिमाई-वेल्व (अकाकिया फेरगिनिया), एट्टी (डल्बर्गिया लैटिफोलिया), इंडियन स्टार कछुआ (जियोसेलॉन एलिगेंस), किंग कोबरा (ओफियोफैगस हन्ना), इंडियन रॉक पायथन (पायथन मॉलूरस), नीलगिरी लकड़ी कबूतर (कोलंबिया एलिफिन्स्टोनी) आदि हैं; लुप्तप्राय प्रजातियों के उदाहरण आनाई कुरु (पर्सिया मैक्रांथा), पज़मकाची (पुनस सेलनानिका), कुंगिलियाम (शोरेआ रोकसबर्गी), हौरीपे (टेफ्रोसिया एंजस्टिसिमा), वेल्लई कुंडुरुकम (वटेरिया इंडिका) आदि हैं; संकटापन्न प्रजातियों के उदाहरण द्वि-रंगीन मेंढक (क्लिनोटारस कर्टिपस), इंडियन ब्लैक टर्टल (मेलानोचेलीज त्रिजुगा), रेड सैण्ड बोआ (एरिक्स जोनी), पैलीड हैरियर (सर्कस मैक्रोरस), डार्टर (अनिंगा मेलेनोगास्टर), मालाबार पाइड हॉर्नबिल (एंथ्राकोसेरोस कोरोनाटस) आदि हैं; स्थानिक प्रजातियों के उदाहरण मालवीरिनजी (एक्विटनोडाफने मालाबारिका), मुट्टापलम (बाकुरुरा कोर्टेलेंसिस), कट्टुकरुवप्पाट्टई (सिन्नामोमम मालाबत्रम), कट्टुकरुवप्पाट्टई (सिन्नामोमम मालाबत्रम), चेम्बिला (सिन्नामोमम विघटि), नागाकेशराम (सिन्नामोमम विघटि) आदि हैं।

और, मुदुमलाई बाघ रिजर्व (कोर) की दक्षिण-पश्चिमी सीमा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले गुडलुर तालुक की सामान्य जनसांख्यिकीय विशेषताएं हैं जैसे कि मिश्रित निवास, जो वृक्षारोपण फसल, बागवानी फसलों, आवास आदि के साथ पूरी तरह विकसित होते हैं। जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र और मसिनागुडी ग्राम और आसपास के क्षेत्र और मुदुमलाई बाघ रिजर्व (कोर) के बफर जोन की बाहरी सीमा के अंतर्गत आता है। लोगों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत मुख्य उद्योग के अलावा सिंगरा में पी.यू.एस.एच.ई.पी.परियोजना और मोयर में जल-विद्युत परियोजना के अलावा मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और पशुपालन पर आधारित है। विभिन्न क्रियाकलापों में लगे जनजातीय लोगों की इस विभाग द्वारा संरक्षण उपायों और उनकी आजीविका में सुधार को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहित किया जाता है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में मुदुमलाई बाघ रिजर्व की सीमा के चारों ओर 0 किलोमीटर से 33.65 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को मुदुमलाई बाघ रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार मुदुमलाई बाघ रिजर्व के चारों ओर 0 किलोमीटर से 33.65 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल 438.904 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत गुदालुर वन संभाग (25.657 वर्ग किलोमीटर), नीलगिरी उत्तर वन संभाग (409.825 वर्ग किलोमीटर) और कोर जोन (3.422 वर्ग किलोमीटर) है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध II क-ड**, में है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमशः **उपाबंध III (क)** और **(ख)** में है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग;
- (xii) राजमार्ग;
- (xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ङ.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश इस रीति से बनाए जाएंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** – पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जिन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**— तमिलनाडु राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिष्काव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिष्सावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित

		<p>आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी जैसे कि :-</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ;</p> <p>(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढावा दिए गए क्रियाकलाप।</p> <p>(ग) परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(घ) 1.0 किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
12.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।

20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संबंधित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5.निगरानी समिति— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:—

1.	कलेक्टर नीलगिरी, उधुगममंडलम	-अध्यक्ष;
2.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक जैवविविधता विशेषज्ञ	-सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाल एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण विशेषज्ञ	-सदस्य;
5.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
7.	उप निदेशक, मुदुमलाई बाघ रिजर्व	-सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय:—

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
 - (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
 - (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
 - (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
 - (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
 - (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
 - (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
 - (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा. सं. 25/08/2018-ईएसजेड]


ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I**संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन**

उत्तर	रिजर्व की उत्तरी सीमा तिराहे से आरंभ होकर और बंदीपुर बाघ रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र के निकट और कर्नाटक की अंतरराज्यीय सीमाओं के चारों ओर मोयर नदी और सेगुर नदी के मिलन बिंदु से पूर्वी दिशा की ओर जाती है। इसलिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं बनाया जा रहा है।
उत्तर-पूर्व	उत्तर पूर्व सीमा ऊपर के बिंदु से जाती है और नीलगिरि उत्तर संभाग, ऊटी और बांदीपुर बाघ रिजर्व (भाग) की सीमा से होकर मोयर नदी के साथ जाती है और आगे नीलगिरि उत्तर संभाग, ऊटी और सत्यमंगलम की सीमा से जाती है और उक्त सीमा मुदुमलाई बाघ रिजर्व का बफर जोन भी है।
पूर्व	पूर्वी सीमा ऊपर के बिंदु से जाती है और मोयर नदी के साथ जाती है इसके बाद दक्षिणी भाग के साथ-साथ जाती है और नीलगिरि पूर्वी ढलान रेंज के साथ जाती है और कोडानाडु तक जाती है और उक्त सीमा मुदुमलाई बाघ रिजर्व का बफर जोन भी है।
दक्षिण-पूर्व	सीमा कोडानाड के निकट पुनः ऊपर के बिंदु से जाती है और नीलगिरि पूर्वी ढलान श्रेणी और सेगुर श्रेणी के जंक्शन पहुँचकर बफर जोन की सीमा के साथ जाती है और इसके अतिरिक्त, सेगुर श्रेणी सीमा के साथ जाती है और इसके बाद कोकल के निकट सेगुर और सिंगारा श्रेणी सीमा के जंक्शन पहुँचती है और उक्त सीमा मुदुमलाई बाघ रिजर्व का बफर जोन बनाती है।
दक्षिण	सीमा कोकल के निकट सेगुर और सिंगारा रेंज सीमा के जंक्शन से जाती है और सिंगारा रेंज सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है जो कि लाईवुड एस्टेट के निकट पहुँचकर बफर जोन सीमा भी है और इसके अतिरिक्त थोरापल्ली के निकट पहुँचकर पुनः बफर जोन के अंतिम बिंदु तक जाती है।
दक्षिण-पश्चिम	यह सीमा ऊपर के बिंदु से आरंभ होती है और प्राकृतिक सीमाओं जैसे धाराओं, सड़कों, मार्गों और छोटी नदियों आदि को पार करके पश्चिमी दिशा की ओर जाती है।
पश्चिम	यह सीमा ऊपर के बिंदु से आरंभ होकर और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और वेल्लेरी के निकट केरल सीमा में पहुँचती है और इसके बाद सीमा मुदुमलाई बाघ रिजर्व के कोर जोन में विलय होकर पट्टा वयाल में अंतिम चेकपोस्ट के निकट पूर्वी दिशा के साथ जाती है।
उत्तर-पश्चिम	शून्य त्रिज्या जोन के साथ रिजर्व की उत्तर पश्चिम सीमा पश्चिमी कोण से आरंभ होती है और केरल के अंतरराज्यीय सीमाओं के चारों ओर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर जाती है जहाँ वयनाड वन्यजीव अभयारण्य के निकट संरक्षित क्षेत्र है। इसलिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं बनाया जा रहा है।


उपाबंध- IIक

मुदुमलाई बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध- IIख

मुदुमलाई बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर मुदुमलाई बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र




उपाबंध- IIघ

10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ मुदुमलाई बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र



उपाबंध- IIड.

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मुदुमलाई बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: मुदुमलाई बाघ रिजर्व, तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1.	1.	टीएन बार्डर एन एच	उ 11°35'27.942"	पू 76°21'31.16808"
2.	2.	पट्टावायाल	उ 11°34'54.4818"	पू 76°21'46.63152"
3.	3.	पलापल्ली	उ 11°35'1.20408"	पू 76°22'35.08104"
4.	4.	न. 1 चेपोडु	उ 11°34'53.75028"	पू 76°23'10.95144"
5.	5.	चेन गेट के पास	उ 11°34'27.76764"	पू 76°23'12.37992"
6.	6.	कोविलमाडु	उ 11°34'09.89436"	पू 76°24'05.60844"
7.	7.	ओन्नावायाल	उ 11°33'58.47876"	पू 76°24'58.75488"
8.	8.	अत्तामोलाई	उ 11°34'14.9412"	पू 76°25'19.10712"
9.	9.	अरैकादावु माडु	उ 11°34'40.47744"	पू 76°25'59.1798"
10.	10.	ब्लॉक लाईन के पास	उ 11°34'41.98476"	पू 76°26'40.59816"
11.	11.	अदुपुकुट्टी	उ 11°34'52.74444"	पू 76°27'37.20528"
12.	12.	नवालमारा मत्ताम	उ 11°34'29.81748"	पू 76°28'25.545"
13.	13.	पालाकोली	उ 11°34'13.4922"	पू 76°29'33.66024"
14.	14.	वादावयाल के पास	उ 11°33'15.66648"	पू 76°30'19.80288"
15.	15.	कुनियाल	उ 11°32'15.45468"	पू 76°30'42.43464"
16.	16.	नेल्लीकराई	उ 11°33'9.92952"	पू 76°30'59.93028"
17.	17.	थरोपल्लाई चिकपोस्ट	उ 11°31'59.42496"	पू 76°31'33.27384"
18.	18.	गुडशिफेड फॉरम के पास	उ 11°32'22.00848"	पू 76°32'27.46392"
19.	19.	कुमबारा कोली वयाल	उ 11°32'07.75716"	पू 76°32'55.25952"
20.	20.	एतिमारा कैंप	उ 11°32'17.94372"	पू 76°33'27.11988"
21.	21.	बॉम्बॉक्स	उ 11°32'22.7022"	पू 76°33'50.49324"
22.	22.	करीमारा ओदई	उ 11°32'30.75648"	पू 76°34'07.05504"
23.	23.	करीमारा ओदई	उ 11°32'34.19664"	पू 76°34'37.4322"
24.	24.	करीमारा ओडई	उ 11°32'35.92356"	पू 76°35'05.06292"
25.	25.	लेईगवुड मोलाई	उ 11°32'41.63964"	पू 76°35'30.63372"
26.	26.	बंदाकादावु	उ 11°32'41.21736"	पू 76°36'01.34028"
27.	27.	11 वे किलोमीटर चेकडाम के पास	उ 11°33'07.81488"	पू 76°36'05.7348"
28.	28.	पचाई कुलम	उ 11°33'32.75712"	पू 76°36'25.23564"

क्र.सं	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
29.	29.	लिक रोड जंक्शन	उ11°33'50.65092"	पू76°36'50.47668"
30.	30.	चेनगेट मसनागुदी	उ11°33'51.68124"	पू76°37'26.56668"
31.	31.	चेक पोस्ट	उ11°34'10.66332"	पू76°38'03.72804"
32.	32.	चेकपोस्ट के पास	उ11°34'10.66332"	पू76°38'03.72804"
33.	33.	लोगहाउस के पास	उ11°34'42.98736"	पू76°38'30.64452"
34.	34.	मारवाकंदई के पास	उ11°34'30.60012"	पू76°39'08.43768"
35.	35.	मारवाकंदई बांध	उ11°34'21.25128"	पू76°39'25.686"
36.	36.	मासनागुडी वन नर्सरी	उ11°33'51.53328"	पू76°38'55.14396"
37.	37.	अचकराई	उ11°33'25.79796"	पू76°38'44.73456"
38.	38.	कुरुमबर पल्लाम	उ11°32'52.97964"	पू76°38'22.26732"
39.	39.	बोक्कापुरम सड़क	उ11°32'55.29372"	पू76°38'55.14396"
40.	40.	मावनल्ला ग्राम के पास	उ11°32'42.45684"	पू76°39'31.45392"
41.	41.	मावनल्ला नदी की ओर	उ11°32'28.48704"	पू76°39'50.15808"
42.	42.	हाथी बोर्ड के पास	उ11°32'55.75704"	पू76°39'59.55156"
43.	43.	चेम्मानाथन सड़क के पास	उ11°33'19.79676"	पू76°40'47.42436"
44.	44.	सिगुर नदी	उ11°33'20.96748"	पू76°41'10.77036"
45.	45.	चम्मानाथन	उ11°33'54.42408"	पू76°40'52.6152"
46.	46.	सिगुर नदी	उ11°34'30.1674"	पू76°41'20.08104"
47.	47.	सिगुर नदी	उ11°34'18.88608"	पू76°41'56.22612"
48.	48.	सिगुर नदी	उ11°34'22.278"	पू76°42'25.3674"
49.	49.	बिधिमलाई कदावु	उ11°34'58.02132"	पू76°42'20.9178"
50.	50.	मंजकाडावु	उ11°35'27.21048"	पू76°42'50.47128"
51.	51.	थोट्टीकाडावु	उ11°35'42.27216"	पू76°43'06.95064"
52.	52.	सिगुर फाल्स	उ11°36'10.60992"	पू76°43'09.01056"
53.	53.	बोधी परई	उ11°36'00.4338"	पू76°43'45.67764"
54.	54.	बोधी परई के पास	उ11°36'08.9964"	पू76°44'16.85112"
55.	55.	उलकल वरई	उ11°36'04.98636"	पू76°44'49.45308"
56.	56.	पलथाट्टी	उ11°36'45.36792"	पू76°44'59.75268"
57.	57.	मट्टाला पट्टी	उ11°36'50.97456"	पू76°44'18.77388"
58.	58.	वेथामादावु	उ11°36'52.461"	पू76°43'35.18544"
59.	59.	वेथामादावु के पास	उ11°36'50.50764"	पू76°42'40.47372"

क्र.सं	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
60.	60.	कलकोमबाई	उ11°36'52.72884"	पू76°42'09.84924"
61.	61.	बिजली घर के पास	उ11°36'50.91948"	पू76°41'24.558"
62.	62.	केथानकल परई के पास	उ11°36'45.69084"	पू76°41'06.10116"
63.	63.	केथानकल परई	उ11°36'52.66368"	पू76°40'23.72124"
64.	64.	गविहाल्लाह ओदई	उ11°36'46.20564"	पू76°39'10.14048"
65.	65.	कुथीराबरई	उ11°36'46.82016"	पू76°38'12.73668"
66.	66.	कुथीराबरई के पास	उ11°36'44.87724"	पू76°37'47.8254"
67.	67.	कूदराबरई	उ11°36'24.09588"	पू76°36'55.47564"
68.	68.	कोविलपल्लाम	उ11°36'34.85556"	पू76°36'11.53008"
69.	69.	मूंगलपल्लाम	उ11°36'48.37212"	पू76°35'52.60632"
70.	70.	कक्कनल्लाह चिकपोस्ट	उ11°37'02.28684"	पू76°35'37.91184"
71.	71.	सैंड रोड के पास	उ11°36'46.1988"	पू76°35'04.62336"
72.	72.	सैंड रोड वाच टावर के पास	उ11°37'02.37612"	पू76°34'36.11388"
73.	73.	अनकेरी गुड्डा	उ11°37'09.26328"	पू76°33'58.45824"
74.	74.	इरिश पुल के पास	उ11°37'40.30644"	पू76°33'46.62036"
75.	75.	पल्लाम सीमा	उ11°38'13.69464"	पू76°33'35.1396"
76.	76.	ओन्नारेट्टा	उ11°38'31.07364"	पू76°33'26.13096"
77.	77.	कोविलपल्लाम	उ11°38'55.80672"	पू76°33'17.91864"
78.	78.	कुल्लामबेट्टा पल्लाम	उ11°39'16.52616"	पू76°33'20.11608"
79.	79.	गंजिकट्टी कुलम के पास	उ11°39'28.96812"	पू76°33'14.15592"
80.	80.	गंजिकट्टी आईडी शिविर के पास	उ11°39'59.72976"	पू76°33'06.9048"
81.	81.	गंजिकट्टी	उ11°40'15.07656"	पू76°33'09.81612"
82.	82.	कुल्लामबेट्टा	उ11°41'02.16996"	पू76°32'35.75868"
83.	83.	ओन्नामारा बेट्टा	उ11°41'31.81596"	पू76°32'01.15188"
84.	84.	करबेट्टा	उ11°42'04.38696"	पू76°31'02.5122"
85.	85.	करबाई	उ11°42'12.92868"	पू76°30'41.25384"
86.	86.	मूंगलपल्लाम	उ11°41'52.82376"	पू76°30'17.74296"
87.	87.	ममरापल्लाम	उ11°41'35.0124"	पू76°29'49.61796"
88.	88.	चिप्पानाल्ला	उ11°41'25.24488"	पू76°29'21.98724"
89.	89.	ममराक्काल	उ11°41'29.29596"	पू76°28'59.6028"

क्र.सं	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
90.	90.	चिप्पानाल्ला कुलाम	उ11°41'04.50456"	पू76°28'59.0808"
91.	91.	कुलान सीमा के पास	उ11°40'41.72844"	पू76°28'25.07808"
92.	92.	कूदारु के पास	उ11°40'07.52664"	पू76°27'53.95932"
93.	93.	कूदारु	उ11°39'49.90068"	पू76°27'23.91192"
94.	94.	मनीगेथा के पास	उ11°39'52.11504"	पू76°27'00.2088"
95.	95.	मावेनहल्ला	उ11°39'45.9594"	पू76°26'34.3086"
96.	96.	त्रि जंक्शन के पास	उ11°39'53.06616"	पू76°26'07.1448"
97.	97.	त्रि जंक्शन के पास	उ11°39'43.33608"	पू76°25'59.31696"
98.	98.	त्रि जंक्शन वायल के पास	उ11°39'08.19036"	पू76°26'13.79148"
99.	99.	अग्नीवेदुटा ओदई	उ11°38'53.376"	पू76°26'38.59296"
100.	100.	नरथीवेदुटा ओदई	उ11°38'27.79512"	पू76°26'34.85796"
101.	101.	ब्लॉक लाईन	उ11°38'03.6492"	पू76°26'6.2934"
102.	102.	यानैकल वायाल	उ11°37'56.24364"	पू76°25'38.69004"
103.	103.	मुथानथोदु एपी कैंप	उ11°37'58.85616"	पू76°24'25.3566"
104.	104.	मुथानथोदु ओदई	उ11°37'42.2634"	पू76°23'19.49352"
105.	105.	मंगलानकुन्नु	उ11°37'21.76032"	पू76°23'02.46444"
106.	106.	करादीपरी के पास	उ11°36'38.73492"	पू76°23'05.43084"
107.	107.	पल्लीवायाल के पास	उ11°36'25.76772"	पू76°22'44.61168"
108.	108.	कैपमूला मट्टाम	उ11°36'01.98576"	पू76°22'43.29336"
109.	109.	कलादी के पास	उ11°35'48.8778"	पू76°22'02.946"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
1	1	टीएन सीमा एनएच	उ 11°35'27.8016"	पू 76°21'31.1904"
2	2	कडपा के पास	उ 11°35'26.9808"	पू 76°20'56.0400"
3	3	वेल्लेरी के पास	उ 11°34'57.8568"	पू 76°20'53.0592"
4	4	पालाप्लली	उ 11°34'36.6276"	पू 76°21'45.9036"
5	5	कैवेदुटाचल के पास	उ 11°34'39.47519"	पू 76°22'30.3384"
6	6	किमसन काँफी एस्टेट	उ 11°34'04.08"	पू 76°23'02.3136"
7	7	विलंगूर	उ 11°33'32.7564"	पू 76°24'56.9268"

8	8	अवेनदले टी एस्टेट	उ 11°33'43.1316"	पू 76°25'40.5300"
9	9	8 वां नम्बर	उ 11°34'11.4060"	पू 76°26'00.6720"
10	10	दावन बार्डर	उ 11°34'07.3380"	पू 76°26'24.5508"
11	11	अरलाकोट्टई	उ 11°34'04.0440"	पू 76°27'00.3564"
12	12	मचिकोल्ली मट्टाम	उ 11°34'06.8844"	पू 76°27'51.3000"
13	13	पिचनाकोल्ली	उ 11°33'42.3756"	पू 76°28'27.5556"
14	14	पोज़हमपट्टी	उ 11°33'52.1460"	पू 76°28'54.9336"
15	15	मनवायाल	उ 11°33'45.5724"	पू 76°29'24.4824"
16	16	मनी मूलाई	उ 11°33'14.5260"	पू 76°29'24.8109"
17	17	चेमुंडी के पास	उ 11°32'29.9184"	पू 76°29'58.5639"
18	18	पुथुर	उ 11°32'01.8276"	पू 76°30'19.5912"
19	19	जीवी एस्टेट	उ 11°31'35.3856"	पू 76°31'10.8768"
20	20	मुख्य सड़क	उ 11°31'31.3320"	पू 76°31'52.4640"
21	21	सेमी एस्टेट	उ 11°30'41.6880"	पू 76°32'12.2640"
22	22	पायकारा नदी	उ 11°30'20.8296"	पू 76°32'59.7408"
23	23	किनचोना के पास	उ 11°30'39.4164"	पू 76°35'2.4864"
24	24	ग्लेनमोरगन के पास	उ 11°30'52.6140"	पू 76°36'48.1392"
25	25	नब्बामुंड	उ 11°29'38.5728"	पू 76°37'40.4256"
26	26	दयाला हल्ला	उ 11°29'53.8949"	पू 76°38'35.9088"
27	27	ओराट्टी के पास	उ 11°30'10.2492"	पू 76°39'58.7952"
28	28	सिगुर नदी	उ 11°29'10.5936"	पू 76°41'5.2584"
29	29	मोट्टाकनदी	उ 11°29'10.2048"	पू 76°43'47.0280"
30	30	एब्बानादु के पास	उ 11°29'22.5600"	पू 76°45'12.78108"
31	31	कूकल के पास	उ 11°29'35.6532"	पू 76°47'40.9308"
32	32	कमवट्टी के पास	उ 11°30'16.6320"	पू 76°51'16.1532"
33	33	बैंकड के पास	उ 11°31'29.7228"	पू 76°54'50.2380"
34	34	देनाद के पास	उ 11°28'56.9928"	पू 76°56'5.7588"
35	35	पट्टाकोमबाई के पास	उ 11°28'4.0296"	पू 76°58'15.0024"
36	36	मट्टाम कोट्टागिरि	उ 11°29'56.0292"	पू 76°59'37.8276"
37	37	बवानी सागर नदी	उ 11°31'31.7496"	पू 77°0'51.5156"
38	38	बवानी सागर नदी	उ 11°31'30.6408"	पू 77°0'21.5820"
39	39	शेंगुमारदा के पास	उ 11°34'43.5648"	पू 76°56'24.1728"
40	40	शेंगुमारदा के पास	उ 11°34'50.3328"	पू 76°54'20.8944"
41	41	मंगलापट्टी के पास	उ 11°35'32.0208"	पू 76°50'51.2484"
42	42	हुनडेकांदी के पास	उ 11°36'27.9072"	पू 76°49'22.3536"
43	43	पलहाट्टी	उ 11°36'44.9928"	पू 76°44'56.1840"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ मुदुमलाई बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील/तालुक	जिला	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)			
गुडलुर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम									
1.	पट्टावायाल	मूनानाडु ॥ राजस्व ग्राम	पंडालुर तालुक	निलगीरी	11°35'27.8016"	76°21'31.1904"			
2.	चेम्बापल्ली				11°34'58.7568"	76°21'42.0552"			
3.	चेरुनकुत्तु				11°34'50.1888"	76°21'49.9572"			
4.	पालापल्ली (भाग)				11°34'40.5768"	76°21'44.3736"			
5.	ब्रिथेरकाडु चाय एस्टेट	नेल्लीयालम- ॥ राजस्व ग्राम	पंडालुर तालुक		11°34'41.5164"	76°22'52.4856"			
6.	पालापल्ली (भाग)				11°34'53.0184"	76°22'50.3652"			
7.	किमसन कॉफी एस्टेट				11°34'10.0416"	76°23'3.642"			
8.	मुथिराकोल्ली				11°34'12.8676"	76°23'48.8508"			
9.	वेलानगुर				11°33'49.6872"	76°24'36.5616"			
10.	मचिकोल्ली	चेरुमुल्ली - ॥ राजस्व ग्राम	गुदालुर तालुक		11°34'9.6636"	76°28'5.6748"			
11.	वदावायाल				11°33'2.9448"	76°30'17.8344"			
12.	बोसपारा (भाग)	चेरुमुल्ली - ॥ राजस्व ग्राम			11°34'14.376"	76°28'53.1912"			
13.	किल्लुर				11°32'37.6872"	76°30'8.9856"			
14.	कुरुम्बरबेट्टा				11°32'30.768"	76°30'1.8756"			
15.	मेफिल्ड (भाग)				11°33'36.3024"	76°25'47.1648"			
16.	अवंदेल चाय एस्टेट				11°33'34.4196"	76°25'20.2296"			
17.	परानकोल्ली				श्री मधुराई राजस्व ग्राम			11°33'31.0248"	76°29'52.8252"
18.	मेलामबालम							11°32'45.1536"	76°30'30.5136"
19.	मनवायाल	11°33'45.7272"	76°29'40.5636"						
20.	अचनकोल्ली	11°33'53.9496"	76°29'28.0392"						
21.	कालीकुत्तु	11°33'37.5336"	76°29'34.3248"						
22.	देवासमवायाल	11°32'15.1296"	76°30'22.3416"						
23.	ओदाकोल्ली	11°33'45.5904"	76°29'55.7556"						
24.	करंगामूला	11°34'5.016"	76°29'29.166"						
25.	कुनिल	गुदालुर राजस्व ग्राम			11°32'5.712"	76°30'58.0968"			
26.	थोरापल्ली				11°31'59.286"	76°31'32.2968"			
27.	गिरकमोयार				11°31'20.028"	76°31'19.2324"			
28.	अम्बरा				11°31'44.6664"	76°31'48.2232"			

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील/तालुक	जिला	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
नीलगिरी उत्तरी प्रभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम						
29.	नायडु एस्टेट	मासिनागुडी राजस्व ग्राम	उधगाई तालुक	नीलगिरी	11°31'44.0472"	76°32'24.8928"
30.	लेईगवुड एस्टेट				11°32'20.994"	76°35'28.41"
31.	सिंगरा कॉफी एस्टेट				11°31'59.448"	76°36'47.1024"
32.	सिंगरा				11°32'1.464"	76°36'17.568"
33.	मासिनागुडी				11°34'4.1412"	76°38'29.3244"
34.	चेम्मानाथम				11°33'53.3988"	76°41'6.468"
35.	बूथानाथम				11°35'45.852"	76°42'6.1416"
36.	मोयार				11°36'5.7312"	76°41'35.0808"
37.	वज़हैथोट्टम				11°31'40.7352"	76°42'17.6364"
38.	मावनाल्लाह				11°32'39.516"	76°40'47.6184"
39.	चदापट्टी				11°32'3.714"	76°41'37.86"
40.	होस्सुर				11°31'47.2728"	76°41'57.3432"
41.	ग्लेनटैन एस्टेट				11°30'27.7092"	76°41'58.3044"
42.	थोद्दालिंगी	शोलुर राजस्व ग्राम	उधगाई तालुक	11°32'19.716"	76°38'42.6372"	
43.	बोक्कापुरम			11°31'47.6832"	76°38'30.7104"	
44.	वेस्टबरी कॉफी एस्टेट			11°31'38.5788"	76°39'27.6696"	
45.	अनाईगट्टी	एब्बानाडु राजस्व ग्राम		11°33'15.9228"	76°45'19.0224"	
46.	सिरुर	कूकल राजस्व ग्राम		11°32'2.9724"	76°47'59.6256"	
47.	चोक्कानल्ली	कदानाद राजस्व ग्राम		11°31'32.6568"	76°42'31.3308"	
48.	थेनगुमाराहादा	थेनगुमारा हादा राजस्व ग्राम		11°34'0.9372"	76°58'29.8416"	
49.	हल्लीमोयार		11°33'4.7196"	76°57'10.0476"		
50.	कल्लामपालायाम		11°30'50.0508"	77°0'10.5012"		

उपाबंध-V**पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति की-गई-कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2018

S.O.3169(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - eszmef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Mudumalai Tiger Reserve comprising the entire area of Mudumalai Wildlife Sanctuary and National Park lies between Latitude 11.50000 and 11.65000 N Longitude 76.45000 and 76.71670 E in the Nilgiris District, of Tamil Nadu and extends over an area of **321.00 square kilometers**. This is one of the protected areas brought under Project Tiger during 2007. Presently, the entire area (**321.00 sq km**) of Tiger Reserve has been declared as Core/Critical Tiger Habitat notified vide No:145, Environment & Forest (FR-5) Department, dated: 28.12.2007 as per section 38-V of the Wildlife (Protection) Act, 1972. The reserve has **321.00 square kilometres** as Core or Critical tiger habitat **367.586 square kilometres** as Buffer area. The total area of reserve along with the buffer area is **688.586 square kilometres**.

AND WHEAREAS, Mudumalai Tiger Reserve (Core) is not only a critical part of the 5500 square kilometers of the Nilgiris Biosphere Reserve but also forms an integral part of the Nilgiris Elephant Reserve under the Project Elephant. The area has very rich Faunal and Floral diversity. Mudumalai Tiger Reserve (Core) is situated at the tri-junction of three States namely, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala juxtaposed with contiguous forests all around.

AND WHEAREAS, It supports an area good for breeding of tigers and also acts as a good corridor for elephants from Western Ghats to Eastern Ghats and vice versa. This area forms part of the designated elephant corridor which connects Moyar and Sathyamangalam. This area is also part of Western Ghats which is a global bio-diversity hotspot renowned for their flora and fauna and in the phenomenon of endemism.

AND WHEAREAS, the area supports an ecologically sustainable habitat in Western Ghats landscape for about 60-65 tigers, 600 to 800 Asian Elephant and Gaur apart from other animals of significance. This reserve harbours 227 species of Bird, 50 species of Fishes, 21 species of Amphibians, 34 species of Reptiles. Three Primate Species are found here. This reserve has an endemic fish species namely *Puntius mudumalaiensis*. Wild colonies of White Backed Vultures are found in the reserve.

AND WHEAREAS, the area is an important and unique habitat and is an important in-situ conservation site of all flora and fauna in their eco-system to maintain genetic purity of population. It has a mosaic of habitat types. It has got dry thorn forest in the eastern part with the vegetation type gradually changing from dry thorn forest to dry deciduous, moist deciduous and a patch of semi evergreen forests at the western part of the reserve. These forests are classified into following groups (Champion & Seth 1968) viz. 6A - Southern Tropical dry thorn forest, 5A - Southern tropical dry deciduous forest, 3B - Southern Tropical moist deciduous forest, 2A - Southern Tropical semi evergreen forests, Moist bamboo brakes and 4E - Riparian fringing forest occurrence of wild varieties of cultivable plants. Presence of swamps or vayals, are characteristic features of unique biodiversity of Mudumalai Tiger Reserve (Core).

AND WHEAREAS, vegetation comprises of *Grewia tiliifolia*, *Anogeissus latifolia*, *Terminalia crenulata*, *Tilia tomentosa*, *Kediya calycina*, *Shorea roxburghii*, *Tectona grandis*, *Lagerstromia microcarpa*, *Butea monosperma*, orchids, *Amorphophallus*, *Zingiber*, *Curcuma* etc., climbers like *Toddalia asiatica*, *Gnetum ula*, *Entada scandens*, *Bambusa arundinacea*, *Dendrocalamus strictus*, *Mangifera indica*, etc. Bamboos are also found here in sparse in the central and western part of the reserve. Lantana bushes often cover large area of the reserve run over almost all habitats as under growth invaded by several exotic plant species such as *Lantana camara*, *Eupatorium odoratum*, *Ageratum congzoides*, *Titonia*, *Parthenium hysterophorus* and *Mikania micrantha*.

AND WHEAREAS, this protected area is the catchment of important perennial water sources such as Moyar River, which traverses along the Northern and Eastern boundaries of the reserve and Maravakandi dam which is located right in the centre of the Masinagudi range. Averallah River and Moyar Flume channel apart from artificial perennial water source like Game hut, Ombetta and Methagal Vayal etc. are fed by the Reserve catchment.

AND WHEAREAS, Mudumalai Tiger Reserve has a good diversity of flora as found in Western Ghats and being a good habitat for wildlife. The major species are Rusty mimosa (*Accacia pennata*), Axle Wood (*Anogeissus latifolia*), Burmese Silk Orchid (*Bauhinia racemosa*), Indian Olibanum (*Boswellia serrata*), Oppai (*Canthium dicoccum*), Indian Laburnum (*Cassia fistula*), Satin Wood (*Chloroxylon swietenia*), Indian Rose Wood (*Dalbergia latifolia*), Mountain persimmon (*Diospyros montana*), Bastard Sandal (*Erythroxylum monogynum*), Benyan tree (*Ficus benghalensis*), Dhaman (*Grewia tiliifolia*), Nandi Tree (*Lagerstroemia lanceolata*), Pongam Tree (*Pongamia pinnata*), Kadamba (*Mitragyna parvifolia*), Edala (*Olea dioica*) etc.

AND WHEAREAS, the reserve has variety of birds, fishes and butterflies. Examples of birds present in the sanctuary are White-rumped Vulture (*Gyps bengalensis*), Long-billed Vulture (*Gyps indicus*), Indian peafowl (*Pavo cristatus*), Crested Serpent Eagle (*Spilornis cheela*) White-throated Kingfisher (*Halcyon smyrnensis*) etc; example of butterflies are Blue Mormon (*Papilio polymnestor*), Common Emigrant (*Catopsilia crocale*), Common Grass Yellow (*Eurema hecabe*), Common Bushbrown (*Mycalesis perseus*) etc; example of fishes are Indian Long-fin Eel (*Anguilla bengalensis*), Common carp (*Ciprinus caprio*), Tiger barb (*Puntius tetrazona*), Hill trout (*Barillius bendelisis*) etc.

AND WHEAREAS, the reserve has many species of reptiles and amphibians. Examples of reptiles are Marsh Crocodile (*Crocodylus palustris*), Indian Star Tortoise (*Geochelone elegans*), Indian Black Turtle (*Melanochelys trijuga*), Indian Flapshell Turtle (*Lissemys punctata*), Indian Chameleon (*Chamaeleon zeylonicus*) etc; example of amphibians are Common Indian Toad (*Duttaphrynus melanosticus*), Common Indian tree frog (*Polypedates maculatus*), Indian Skipper Frog (*Euphlyctis cyanophlytis*), Indian Bull Frog (*Hoplobatrachus tigrinus*) etc.

AND WHEAREAS, the reserve has recorded many rare, endangered, threatened and endemic species. The rare species present in the reserve are Cimai-velve (*Acacia ferruginea*), Etti (*Dalbergia latifolia*), Indian Star Tortoise (*Geochelone elegans*), King Cobra (*Ophiophagus Hannah*), Indian Rock Python (*Python molurus*), Nilgiri Wood Pigeon (*Columba elphinstonii*) etc; examples of endangered species are Aanai kuru (*Persea macrantha*), Pazhamkaachi (*Prunus ceylanica*), Kungiliyam (*Shorea roxburghii*), Hoarypea (*Tephrosia angustissima*), Vellai kundurukkam (*Vateria indica*) etc; examples of threatened species are Bi-Coloured Frog (*Clinotarsus curtipes*), Indian Black Turtle (*Melanochelys trijuga*), Red Sand Boa (*Eryx johnii*), Pallid Harrier (*Circus macrourus*), Darter (*Anhinga melanogaster*), Malabar Pied Hornbill (*Anthracoceros coronatus*) etc; examples of endemic species are Malavirinji (*Actinodaphne malabarica*), Mootapalam (*Baccaurea courtallensis*), Kattukaruvappattai (*Cinnamomum malabattrum*), Kattukaruvappattai (*Cinnamomum malabattrum*), Chembilaa (*Cinnamomum wightii*), Naagakesharam (*Cinnamomum wightii*) etc.

AND WHEREAS, the ESZ in the South-Western boundary of the Mudumalai Tiger Reserve (Core) falling in Gudalur taluk having general demographic features such as mixed habitations that are fully developed with Plantation crops, Horticulture crops, dwellings, etc. Whereas the ESZ area along North Eastern region falling in and around Masinagudi village and within the outer boundary of buffer zone of MTR-core. The major source of the economy of the people is mainly depending on agriculture, tourism and animal husbandry apart of major industry like PUSHEP project at Singara and Hydro Electric Project at Moyar. The local tribal people are engaged in various activities are encouraged by this department focusing conservation measures and their livelihood improvement.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from **0 kilometres to 33.65 kilometres** around the boundary of Mudumalai Tiger Reserve in the State of Tamil Nadu as the Mudumalai Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. — (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from **0 kilometers to 33.65 kilometers** around the Mudumalai Tiger Reserve. The total area of the Eco-Sensitive zone is **438.904 square kilometers** consisting of Gudalur Forest Division (**25.657 Sq Km**), Nilgiris North Forest Division (**409.825 Sq Km**) and core zone (**3.422 Sq Km**).

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I**.

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-E**.

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. — (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panjayati Raj;
- (xi) Public Works Department;
- (xii) Highways;
- (xiii) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) Small scale industries not causing pollution;
 - (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
 - (v) Promoted activities and given in paragraph 4;
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
 - (ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.
 - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - The Environment Department of the State Government or Tamil Nadu State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.** - Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.**- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.** - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad vz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	It will be prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new road;

		<p>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</p> <p>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;</p> <p>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and</p> <p>(v) Promoted activities listed in this Notification.</p> <p>(c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations if any.</p> <p>(d) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of Trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>
12.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	It shall be regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc .	It shall be regulated under applicable laws in force.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable law.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	It shall be regulated for commercial purpose under applicable laws in force.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to

	water/effluents in natural water bodies or land area.	enter into the water bodies. Efforts to be made for recycling and reuse of treated waste water, shall be regulated as per applicable acts and laws in force.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management .	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming .	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities .	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc .	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry .	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development .	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee -

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), comprising of the following namely:-

1.	Collector of Nilgirs, Udhagamandalam	Chairman
2.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member
3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member
4.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member
5.	A representative from State Public Works Department	Member
6.	A representative from State Pollution Control Board	Member
7.	Deputy Director, Mudumalai Tiger Reserve	Member Secretary

6. Terms of Reference. –

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/08/2018-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'


ANNEXURE- I**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED**

North	The Northern boundary of the reserve commence from tri-junction and runs easterly direction up to the point joining Moyar river and Segur river is surrounded by the interstate boundaries of Karnataka and abutting protected area of Bandipur Tiger Reserve Therefore no proposal is being made for the Eco-sensitive zone on that front.
North-East	The North-east boundary is continuing from above point and runs along Moyar river being the border of Nilgiris North Division, Ooty and Bandipur Tiger reserve (Part) and further continuous bordering Nilgiris North Division, Ooty and Sathyamangalam Tiger Reserve and the said boundary also form the buffer zone of MTR.
East	The Eastern boundary continuous from the above point and runs along Moyar river thence deviates along southern side and runs along the Nilgiris Eastern Slope Range boundary and runs up to Kodanadu and the said boundary also form the buffer zone of MTR.

South-East	The boundary further continuous from the above point near Kodanad and runs along the boundary of buffer zone to reach the junction of Nilgiris Eastern Slope Range and Segur Range and thence runs along Segur Range boundary and then reach at the junction of Segur and Singara Range boundary near Kookal and the said boundary also form the buffer zone of MTR.
South	The boundary again continuing from the junction of Segur and Singara Range boundary near Kookal and runs towards westerly direction along the Singara Range boundary which is also being the buffer zone boundary to reach near Leighwood Estate and further continuous along to reach near Thorapalli, the end point of buffer zone.
South-West	This boundary commence from the above point and runs towards western direction crossing along natural boundaries such as streams, roads, pathways and nullahs etc.
West	This boundary commences from the above point and runs towards north westerly direction and reaches at Kerala border near Velleri and thence the boundary deviates along eastern direction to end near check post at Patta vayal merging core zone of MTR.
North-West	The zero radius zone along North-West boundary of the reserve starts from western corner and runs towards north easterly direction is surrounded by the interstate boundaries of Kerala where abutting protected area of Waynaad Wildlife Sanctuary. Therefore no proposal is being made for the Eco-sensitive zone on that front.


ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MUDUMALAI TIGER RESERVE




ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MUDUMALAI TIGER RESERVE




ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MUDUMALAI TIGER RESERVE ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET




ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MUDUMALAI TIGER RESERVE ALONG WITH 10 KM BUFFER



ANNEXURE- IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MUDUMALAI TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Mudumalai Tiger Reserve, Tamil Nadu

S. No.	Identification of Prominent points	Location / Direction of Prominent Points	Latitude (N)	Longitude (E)
1.	1.	TN Border NH	N11°35'27.942"	E76°21'31.16808"
2.	2.	Pattavayal	N11°34'54.4818"	E76°21'46.63152"
3.	3.	Palapalli	N11°35'1.20408"	E76°22'35.08104"
4.	4.	No.1 Cheppodu	N11°34'53.75028"	E76°23'10.95144"
5.	5.	Near chain gate	N11°34'27.76764"	E76°23'12.37992"
6.	6.	Kovilmadu	N11°34'09.89436"	E76°24'05.60844"
7.	7.	onnavayal	N11°33'58.47876"	E76°24'58.75488"
8.	8.	Attamolai	N11°34'14.9412"	E76°25'19.10712"
9.	9.	Araikadavu madu	N11°34'40.47744"	E76°25'59.1798"
10.	10.	Near Block line	N11°34'41.98476"	E76°26'40.59816"
11.	11.	Addupukutty	N11°34'52.74444"	E76°27'37.20528"
12.	12.	Navalmara mattam	N11°34'29.81748"	E76°28'25.545"

S. No.	Identification of Prominent points	Location / Direction of Prominent Points	Latitude (N)	Longitude (E)
13.	13.	Palakolli	N11°34'13.4922"	E76°29'33.66024"
14.	14.	Near Vadavayal	N11°33'15.66648"	E76°30'19.80288"
15.	15.	Kuniyal	N11°32'15.45468"	E76°30'42.43464"
16.	16.	Nellikarai	N11°33'9.92952"	E76°30'59.93028"
17.	17.	Thropallai Chickpost	N11°31'59.42496"	E76°31'33.27384"
18.	18.	Near Goodshifed form	N11°32'22.00848"	E76°32'27.46392"
19.	19.	Kumbara kolli vayal	N11°32'07.75716"	E76°32'55.25952"
20.	20.	Eatimara camp	N11°32'17.94372"	E76°33'27.11988"
21.	21.	Bombox	N11°32'22.7022"	E76°33'50.49324"
22.	22.	Karimara Odai	N11°32'30.75648"	E76°34'07.05504"
23.	23.	Karimara Odai	N11°32'34.19664"	E76°34'37.4322"
24.	24.	Karimara Odai	N11°32'35.92356"	E76°35'05.06292"
25.	25.	Leingwood Moolai	N11°32'41.63964"	E76°35'30.63372"
26.	26.	Bandakadavu	N11°32'41.21736"	E76°36'01.34028"
27.	27.	Near 11th km Checkdam	N11°33'07.81488"	E76°36'05.7348"
28.	28.	Pachai kulam	N11°33'32.75712"	E76°36'25.23564"
29.	29.	Link road Junction	N11°33'50.65092"	E76°36'50.47668"
30.	30.	Chaingate Masanagudi	N11°33'51.68124"	E76°37'26.56668"
31.	31.	Check post	N11°34'10.66332"	E76°38'03.72804"
32.	32.	Near Checkpost	N11°34'10.66332"	E76°38'03.72804"
33.	33.	Near Loghouse	N11°34'42.98736"	E76°38'30.64452"
34.	34.	Near Maravakandai	N11°34'30.60012"	E76°39'08.43768"
35.	35.	Maravakandai Dam	N11°34'21.25128"	E76°39'25.686"
36.	36.	Masanagudi Forest Nursery	N11°33'51.53328"	E76°38'55.14396"
37.	37.	Achakarai	N11°33'25.79796"	E76°38'44.73456"
38.	38.	Kurumbar pallam	N11°32'52.97964"	E76°38'22.26732"
39.	39.	Bokkapuram road	N11°32'55.29372"	E76°38'55.14396"
40.	40.	Mavanalla Village near	N11°32'42.45684"	E76°39'31.45392"
41.	41.	Mavanalla riverside	N11°32'28.48704"	E76°39'50.15808"
42.	42.	Near by elephant board	N11°32'55.75704"	E76°39'59.55156"
43.	43.	Near Chemmanathan road	N11°33'19.79676"	E76°40'47.42436"
44.	44.	Sigur river	N11°33'20.96748"	E76°41'10.77036"
45.	45.	Chammanathan	N11°33'54.42408"	E76°40'52.6152"
46.	46.	Sigur river	N11°34'30.1674"	E76°41'20.08104"
47.	47.	Sigur river	N11°34'18.88608"	E76°41'56.22612"
48.	48.	Sigur river	N11°34'22.278"	E76°42'25.3674"
49.	49.	Bidhirmalai kadavu	N11°34'58.02132"	E76°42'20.9178"
50.	50.	Manjakadavu	N11°35'27.21048"	E76°42'50.47128"
51.	51.	Thottikadavu	N11°35'42.27216"	E76°43'06.95064"
52.	52.	Sigur falls	N11°36'10.60992"	E76°43'09.01056"
53.	53.	Boodhi parai	N11°36'00.4338"	E76°43'45.67764"

S. No.	Identification of Prominent points	Location / Direction of Prominent Points	Latitude (N)	Longitude (E)
54.	54.	Near Boodhi parai	N11°36'08.9964"	E76°44'16.85112"
55.	55.	Ulkal barai	N11°36'04.98636"	E76°44'49.45308"
56.	56.	Palhatty	N11°36'45.36792"	E76°44'59.75268"
57.	57.	Mattala patty	N11°36'50.97456"	E76°44'18.77388"
58.	58.	Bethamadavu	N11°36'52.461"	E76°43'35.18544"
59.	59.	Near Bethamadavu	N11°36'50.50764"	E76°42'40.47372"
60.	60.	Kalkombai	N11°36'52.72884"	E76°42'09.84924"
61.	61.	Near Power House	N11°36'50.91948"	E76°41'24.558"
62.	62.	Near Kethankal parai	N11°36'45.69084"	E76°41'06.10116"
63.	63.	Kethankal parai	N11°36'52.66368"	E76°40'23.72124"
64.	64.	Gavillah Odai	N11°36'46.20564"	E76°39'10.14048"
65.	65.	Kuthirabarai	N11°36'46.82016"	E76°38'12.73668"
66.	66.	Near Kuthirabarai	N11°36'44.87724"	E76°37'47.8254"
67.	67.	Koodrabarai	N11°36'24.09588"	E76°36'55.47564"
68.	68.	Kovilpallam	N11°36'34.85556"	E76°36'11.53008"
69.	69.	Moongalpallam	N11°36'48.37212"	E76°35'52.60632"
70.	70.	Kakkanallah Chickpost	N11°37'02.28684"	E76°35'37.91184"
71.	71.	Near Sand road	N11°36'46.1988"	E76°35'04.62336"
72.	72.	Near sand road watch tower	N11°37'02.37612"	E76°34'36.11388"
73.	73.	Unkeri gudda	N11°37'09.26328"	E76°33'58.45824"
74.	74.	Near Irish brideg	N11°37'40.30644"	E76°33'46.62036"
75.	75.	Boundry pallam	N11°38'13.69464"	E76°33'35.1396"
76.	76.	Onnaratty	N11°38'31.07364"	E76°33'26.13096"
77.	77.	Kovilpallam	N11°38'55.80672"	E76°33'17.91864"
78.	78.	Kullambetta pallam	N11°39'16.52616"	E76°33'20.11608"
79.	79.	Near Ganjikatty kulam	N11°39'28.96812"	E76°33'14.15592"
80.	80.	Near Ganjikatty Id camp	N11°39'59.72976"	E76°33'06.9048"
81.	81.	Ganjikatty	N11°40'15.07656"	E76°33'09.81612"
82.	82.	Kullambetta	N11°41'02.16996"	E76°32'35.75868"
83.	83.	Onnamara betta	N11°41'31.81596"	E76°32'01.15188"
84.	84.	Karbeta	N11°42'04.38696"	E76°31'02.5122"
85.	85.	Karbai	N11°42'12.92868"	E76°30'41.25384"
86.	86.	Moongalpallam	N11°41'52.82376"	E76°30'17.74296"
87.	87.	Mamarapallam	N11°41'35.0124"	E76°29'49.61796"
88.	88.	Chippallah	N11°41'25.24488"	E76°29'21.98724"
89.	89.	Mamarakkal	N11°41'29.29596"	E76°28'59.6028"
90.	90.	Chippallah kulam	N11°41'04.50456"	E76°28'59.0808"
91.	91.	Near Boundry kulam	N11°40'41.72844"	E76°28'25.07808"
92.	92.	Near Koodaru	N11°40'07.52664"	E76°27'53.95932"
93.	93.	Koodaru	N11°39'49.90068"	E76°27'23.91192"
94.	94.	Near manigetha	N11°39'52.11504"	E76°27'00.2088"

S. No.	Identification of Prominent points	Location / Direction of Prominent Points	Latitude (N)	Longitude (E)
95.	95.	Mavenhalla	N11°39'45.9594"	E76°26'34.3086"
96.	96.	Near Tri Junction	N11°39'53.06616"	E76°26'07.1448"
97.	97.	Near Tri Junction	N11°39'43.33608"	E76°25'59.31696"
98.	98.	Near tri Junction vayal	N11°39'08.19036"	E76°26'13.79148"
99.	99.	Agnibetta odai	N11°38'53.376"	E76°26'38.59296"
100.	100.	Narthibetta odai	N11°38'27.79512"	E76°26'34.85796"
101.	101.	Blockline	N11°38'03.6492"	E76°26'6.2934"
102.	102.	Yanaikal vayal	N11°37'56.24364"	E76°25'38.69004"
103.	103.	Muthanthodu APCamp	N11°37'58.85616"	E76°24'25.3566"
104.	104.	Muthanthodu odai	N11°37'42.2634"	E76°23'19.49352"
105.	105.	Mangalankunnu	N11°37'21.76032"	E76°23'02.46444"
106.	106.	Near karadipari	N11°36'38.73492"	E76°23'05.43084"
107.	107.	Near pallivayal	N11°36'25.76772"	E76°22'44.61168"
108.	108.	Kaipamoola mattam	N11°36'01.98576"	E76°22'43.29336"
109.	109.	Near kaladi	N11°35'48.8778"	E76°22'02.946"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S. No.	Identification of Prominent points	Location / Direction of Prominent Points	Latitude (N)	Longitude (E)
1	1	TN Border NH	N11°35'27.8016"	E76°21'31.1904"
2	2	Near Kadapa	N11°35'26.9808"	E76°20'56.0400"
3	3	Near velleri	N11°34'57.8568"	E76°20'53.0592"
4	4	Palappalli	N11°34'36.6276"	E76°21'45.9036"
5	5	Near Kaivettachal	N11°34'39.47519"	E76°22'30.3384"
6	6	Kimson Coffee Estate	N11°34'04.08"	E76°23'02.3136"
7	7	Vilangoor	N11°33'32.7564"	E76°24'56.9268"
8	8	Avandale Tea Estate	N11°33'43.1316"	E76°25'40.5300"
9	9	8 th Number	N11°34'11.4060"	E76°26'00.6720"
10	10	Davan Boredr	N11°34'07.3380"	E76°26'24.5508"
11	11	Arlakottai	N11°34'04.0440"	E76°27'00.3564"
12	12	Machikolli mattam	N11°34'06.8844"	E76°27'51.3000"
13	13	Pichanakolli	N11°33'42.3756"	E76°28'27.5556"
14	14	Pozhampatty	N11°33'52.1460"	E76°28'54.9336"
15	15	Manvayal	N11°33'45.5724"	E76°29'24.4824"
16	16	Mani moolai	N11°33'14.5260"	E76°29'24.8109"
17	17	Near Chemundi	N11°32'29.9184"	E76°29'58.5639"
18	18	Puthur	N11°32'01.8276"	E76°30'19.5912"
19	19	Jivi Estate	N11°31'35.3856"	E76°31'10.8768"
20	20	Main road	N11°31'31.3320"	E76°31'52.4640"
21	21	Samy estate	N11°30'41.6880"	E76°32'12.2640"

22	22	Pykara river	N11°30'20.8296"	E76°32'59.7408"
23	23	Near Cinchona	N11°30'39.4164"	E76°35'2.4864"
24	24	Near Glenmorgan	N11°30'52.6140"	E76°36'48.1392"
25	25	Nabbamund	N11°29'38.5728"	E76°37'40.4256"
26	26	Dyala halla	N11°29'53.8949"	E76°38'35.9088"
27	27	Near Ooratti	N11°30'10.2492"	E76°39'58.7952"
28	28	Sigur river	N11°29'10.5936"	E76°41'5.2584"
29	29	Mottakandi	N11°29'10.2048"	E76°43'47.0280"
30	30	Near Ebbanadu	N11°29'22.5600"	E76°45'12.78108"
31	31	Near Kookal	N11°29'35.6532"	E76°47'40.9308"
32	32	Near kambatti	N11°30'16.6320"	E76°51'16.1532"
33	33	Near bankad	N11°31'29.7228"	E76°54'50.2380"
34	34	Near Denad	N11°28'56.9928"	E76°56'5.7588"
35	35	Near Pattacomбай	N11°28'4.0296"	E76°58'15.0024"
36	36	Kottagiri mattam	N11°29'56.0292"	E76°59'37.8276"
37	37	Bavani sagar river	N11°31'31.7496"	E77°0'51.5156"
38	38	Bavani sagar river	N11°31'30.6408"	E77°0'21.5820"
39	39	Near Thengumarada	N11°34'43.5648"	E76°56'24.1728"
40	40	Near Thengumarada	N11°34'50.3328"	E76°54'20.8944"
41	41	Near mangalapatti	N11°35'32.0208"	E76°50'51.2484"
42	42	Near hunadekandi halla	N11°36'27.9072"	E76°49'22.3536"
43	43	Palthatty	N11°36'44.9928"	E76°44'56.1840"

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF MUDUMALAI TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES**

S. No.	Village Name	Type of village	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N)	Longitude (E)
Villages falling Gudalur Forest Division						
1.	Pattavayal	Moonanadu II Revenue village	Pandalur Taluk	The Nilgiris	11°35'27.8016"	76°21'31.1904"
2.	Chembapalli				11°34'58.7568"	76°21'42.0552"
3.	Cherunkunnu				11°34'50.1888"	76°21'49.9572"
4.	Palapalli (part)				11°34'40.5768"	76°21'44.3736"
5.	Bitherkadu Tea Estate	Nelliyalam – II Revenue village	Pandalur Taluk	The Nilgiris	11°34'41.5164"	76°22'52.4856"
6.	Palapalli (part)				11°34'53.0184"	76°22'50.3652"
7.	Kimson coffe estate				11°34'10.0416"	76°23'3.642"
8.	Muthirakolli				11°34'12.8676"	76°23'48.8508"
9.	Velangur				11°33'49.6872"	76°24'36.5616"
10.	Machikolli	Cherumulli – II Revenue village	Gudalur Taluk	The Nilgiris	11°34'9.6636"	76°28'5.6748"
11.	Vadavayal				11°33'2.9448"	76°30'17.8344"
12.	Bospara (part)				Cherumulli – I	11°34'14.376"

S. No.	Village Name	Type of village	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N)	Longitude (E)
13.	Killur	Revenue village			11°32'37.6872"	76°30'8.9856"
14.	Kurumbarbetta				11°32'30.768"	76°30'1.8756"
15.	Mayfield (part)				11°33'36.3024"	76°25'47.1648"
16.	Avandale Tea estate				11°33'34.4196"	76°25'20.2296"
17.	Parankolli	Sri Madhurai Revenue village			11°33'31.0248"	76°29'52.8252"
18.	Melambalam				11°32'45.1536"	76°30'30.5136"
19.	Manvayal				11°33'45.7272"	76°29'40.5636"
20.	Achankolli				11°33'53.9496"	76°29'28.0392"
21.	Kalikunnu				11°33'37.5336"	76°29'34.3248"
22.	Devasamvayal				11°32'15.1296"	76°30'22.3416"
23.	Odakolli				11°33'45.5904"	76°29'55.7556"
24.	Karangamoola				11°34'5.016"	76°29'29.166"
25.	Kunil	Gudalur Revenue village			11°32'5.712"	76°30'58.0968"
26.	Thorapalli				11°31'59.286"	76°31'32.2968"
27.	Girkmoyar				11°31'20.028"	76°31'19.2324"
28.	Ambra				11°31'44.6664"	76°31'48.2232"
Villages falling in Nilgiri North Division						
29.	Naidu estate	Masinagudi Revenue village	Udhagai Taluk	The Nilgiris	11°31'44.0472"	76°32'24.8928"
30.	Leighwood estate				11°32'20.994"	76°35'28.41"
31.	Singara coffee estate				11°31'59.448"	76°36'47.1024"
32.	Singara				11°32'1.464"	76°36'17.568"
33.	Masinagudi				11°34'4.1412"	76°38'29.3244"
34.	Chemmanatham				11°33'53.3988"	76°41'6.468"
35.	Boothanatham				11°35'45.852"	76°42'6.1416"
36.	Moyar				11°36'5.7312"	76°41'35.0808"
37.	Vazhithottam				11°31'40.7352"	76°42'17.6364"
38.	Mavanallah				11°32'39.516"	76°40'47.6184"
39.	Chadapatti				11°32'3.714"	76°41'37.86"
40.	Hossur				11°31'47.2728"	76°41'57.3432"
41.	Glentain estate				11°30'27.7092"	76°41'58.3044"
42.	Thoddalingi	Sholur Revenue village	Udhagai Taluk		11°32'19.716"	76°38'42.6372"
43.	Bokkapuram				11°31'47.6832"	76°38'30.7104"
44.	Westbury coffee estate				11°31'38.5788"	76°39'27.6696"
45.	Anaigatty	Ebbanadu Revenue village			11°33'15.9228"	76°45'19.0224"
46.	Sirur	Kookal Revenue village			11°32'2.9724"	76°47'59.6256"
47.	Chokkanalli	Kadanad Revenue village			11°31'32.6568"	76°42'31.3308"

S. No.	Village Name	Type of village	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N)	Longitude (E)
48.	Thengumarahada	Thengumara Hada Revenue village			11°34'0.9372"	76°58'29.8416"
49.	Hallimoyar				11°33'4.7196"	76°57'10.0476"
50.	Kallampalayam				11°30'50.0508"	77°0'10.5012"

Annexure –V**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.